

सं० 21034/35/2007-रा.भा. (प्रशि.)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

16 AUG 2007

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा के परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं की संवीक्षा कराने की फीस में वृद्धि के संबंध में।

हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होते तथा अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं की संवीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं के संवीक्षा शुल्क में वृद्धि किए जाने का मामला कुछ समय से विचाराधीन रहा है। अब भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस शुल्क को रु. 5/- से बढ़ाकर रु. 50/- कर दिया जाए। यह फीस उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को देय रु. 50/- के डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा दी जाएगी जो कि संवीक्षा करवाने के लिए आवेदन-पत्र के साथ भेजा जाना होगा।

2. उपर्युक्त वृद्धि इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।
3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त-॥, गृह मंत्रालय की टिप्पणी संख्या एफ-900/07/ए.एस.एण्ड एफ.ए.(एच), दिनांक 29 जून, 2007 के तहत दी गयी सहमति से जारी किया जा रहा है।

(विजय कुमार गुप्ता)

(विजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
2. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को उनकी फाईल सं. 15/65/2007- उप निदेशक (परीक्षा) पर प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव के संबंध में।
3. वेतन तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय) गृह मंत्रालय, सी-1 हटमेंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली।
4. सभी संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान।
5. सभी सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान।
6. वित्त-॥ अनुभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनकी टिप्पणी के संदर्भ में।
7. गार्ड फाइल।
8. अतिरिक्त प्रतियां 100।

48